कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक 5331 लखनऊ, दिनाँक 16 मार्च, 2017.

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय– लखनऊ से बलिया (वाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 5439 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/01/2018/एफ0सी0/864 दिनांक 09.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र की शर्त संख्या–2 (क) के अनुसार 0.456 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 626000.00 की दर से रू0 285456.00 (दो लाख पच्चासी हजार चार सौ छप्पन मात्र) कैम्पानिधि, नई दिल्ली (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) आन लाईन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा करकर जमा धनराशि की रसीद अथवा प्रमाण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शर्त संख्या–2 (ग) के अनुसार यदि एन0पी0वी0 की धनराशि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

शर्त संख्या–4 से 7 तक वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 प्रवीण राव)

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक 5331 तददिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–2637/11–सी/एफ.सी./यू0पी0/रोड/28804/2017, दिनांक 13.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0 प्रवीण राव)

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक 8973 ए दि 22/3/18 (10664)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 7805 /14–10–4 लखनऊ, दिनाँक 16 मार्च, 2017.

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा
उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 17.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 5439 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/01/2018/एफ0सी0/ 864, दिनांक 09.03.2018

OSD (91) 22/3/18

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र की शर्त संख्या–2 (क) के अनुसार 0.456 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 626000.00 की दर से रू0 285456.00 (दो लाख पच्चासी हजार चार सौ छप्पन मात्र) कैम्पानिधि, नई दिल्ली (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) आन लाईन ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर जमा धनराशि की रसीद इस वन प्रभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>शर्त संख्या–2 (ग)</u> के अनुसार यदि एन0पी0वी0 की धनरशि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

<u>शर्त संख्या–4 से 7</u> तक वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

<u>पत्रांक / उक्तदिनाँकित।</u>

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–2637/11–सी/एफ.सी./यू0पी0/रोड/28804/2017, दिनांक 13.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

<u>पत्रांक / उक्तदिनाँकित।</u>

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोहनलालगंज को संदर्भित पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ कृप्या बिन्दु संख्या–7 की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, फैजाबाद।

पत्रांक 3878/29–1 **दिनांक, फैजाबाद, 2 अप्रैल/2018**

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी (वन)
यूपीडा, लखनऊ।

विषय :– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के संबंध में निर्गत भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के कम में भुगतान हेतु सुल्तानपुर एवं बाराबंकी वन प्रभाग का मांग पत्र।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक 3754/29–1, दिनांक 22.03.2018 तथा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2789 /11 – सी – एफपी /यूपी /रोड /28804/ 2017, दिनांक 28.03.2018।

महोदय,

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के संबंध में निर्गत भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के कम में भुगतान हेतु सुल्तानपुर एवं बाराबंकी वन प्रभाग का मांग पत्र इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 22.03.2018 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पुनरीक्षित मांग पत्र प्रेषित करने के निदेश प्राप्त हुये है। प्राप्त निर्देशों के कम में इस वृत्त के अर्न्तगत आने वाले सुल्तानपुर तथा बाराबंकी वन प्रभागों का मांग–पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

कमांक	प्रभाग का नाम	विवरण	मांग पत्र की धनराशि
1.	सुल्तानपुर	7.0549 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले यूपीडा द्वारा दी जाने वाली भूमि पर वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि	रू0 13,68,617.00
		प्रभावित होने वाली 7.0549 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 4.2623 संरक्षित वन भूमि के संबंध में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)	रू0 89,25,895.00
	योग	**रू0 एक करोड, दो लाख, चौरान्बे हजार, पॉच सौ बारह मात्र**	**रू0 1,02,94,512.00**
2.	बाराबंकी	प्रभावित होने वाली 0.366 हे0 संरक्षित वन भूमि के संबंध में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)	रू0 2,29,116.00
	योग	**रू0 दो लाख, उनतीस हजार, एक सौ सोलह मात्र**	**रू0 2,29,116.00**

इस वृत्त के अन्तर्गत आने वाले प्रभागों का मांग–पत्र भारत सरकार के सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में उपरोक्तानुसार प्रेषित है। यहॉ यह भी सूचित करना है कि सुल्तानपुर वन प्रभाग में आने

वाली वन भूमि पर स्थित 25,483 वृक्षों का पातन निहित है, जिसमें से यूपीडा द्वारा आरक्षित वन भूमि के समतुल्य उपलब्ध करायी जा रही भूमि पर 7,700 वृक्ष ही लगेंगे। शेष 17,783 वृक्षों के दोगुनी संख्या अर्थात् 35,600 वृक्षों के ब्रिकगार्ड में रोपण हेतु धनराशि की मांग अलग से प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

2/4/18

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद

पत्रांक /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक 2789 /11 – सी – एफपी /यूपी /रोड /28804/ 2017, दिनांक 28.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सुल्तानपुर को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद

e-mail

कार्यालय वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।

(E-Mail ID-cfazamgarh@gmail.com, cfazamgarh@yahoo.co.in, Fax no.-05462-260216)

पत्रांक 3210 / 14-1 /दिनांक, आजमगढ़, मार्च 16 /2018।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज,
इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के कम में भुगतान हेतु मॉग पत्र।

संदर्भः– प्रभागीय निदेशक,सा0वा0 प्रभाग,आजमगढ़ का पत्रांक–1802/14–9 दिनांक 14.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय निदेशक,आजमगढ़ ने सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के कम में वांछित धनराशि का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। वांछित धनराशि मु0 4536159.40 का विवरण प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि वांछित धनराशि मु0 4536159.40 रू0 ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें। उक्त की पुष्टि होने पर भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/01/2018/एफ.सी./864 दिनांक 09.03.2018 के सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार आख्या/अनुपालन कर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी आजमगढ़ को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0झा)
वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,आजमगढ़।

संख्या 3210 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आजमगढ़।

(आर0सी0झा)
वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,आजमगढ़।

Docu. D.M. March-2018 (Javed Khan)

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार के सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में भुगतान हेतु धनराशि की मांगः–

क्रमांक	विवरण	मांग पत्र की धनराशि
1	2.10 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले यूपीडा द्वारा दी जाने वाली भूमि पर वृक्षारोपण तथा उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	रू. 1830300.00
2	1.3469 हे0 संरक्षित वन भूमि के बदले यूपीडा द्वारा ग्राम मतवार, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर में दी जाने वाली भूमि पर वृक्षारोपण तथा उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि	यह धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के मांग पत्र में सम्मिलित है।
3	प्रभावित होने वाली 2.10 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 1.3469 हे0 संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)	रू. 1862700.00 रू0 843159.40
	कुल योग	रू. 4536159.40

(रू0 पैतालीस लाख छत्तीस हजार एक सौ उन्सठ मात्र)

(एस0 एन0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
आजमगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़

e-mail

कार्यालय वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।

पत्रांक 3209 / 14-1 /दिनांक, आजमगढ़, मार्च 16 /2018।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज,
इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के कम में भुगतान हेतु मॉग पत्र।

संदर्भः– प्रभागीय निदेशक,सा0वा0 प्रभाग,मऊ का पत्रांक–1852/14–1 दिनांक 14.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय निदेशक,मऊ ने सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में मऊ वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित होने वाली 0.6162 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0 385741.00 का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त वांछित धनराशि का विवरण प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि वांछित धनराशि मु0 385741.00 रू0 ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें। उक्त की पुष्टि होने पर भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/01/2018/एफ.सी./864 दिनांक 09.03.2018 के सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार आख्या/अनुपालन कर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, मऊ को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0झा)
वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,आजमगढ़।

संख्या 3209 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मऊ।

(आर0सी0झा)
वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,आजमगढ़।

Docu. D.M. March-2018 (Javed Khan)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मऊ

पत्रांक 1852/14–1 दिनांक, मऊ 14 मार्च ,2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,
आजमगढ।

विषयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के कम में भुगतान हेतु मांग पत्र।

संदर्भः– विशेष कार्याधिकारी (वन), यूपीडा, लखनऊ का पत्रांक 4261/यूपीडा/619 दिनांक 13.03. 2018।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस प्रभाग की 0.6162 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या 8बी/यूपी/06/01/2018/एफसी/864 दिनांक 09.03.2018 तथा विशेष कार्याधिकारी (वन) के उक्त संदर्भित पत्र के कम में इस कार्यालय का भुगतान मांग पत्र निम्न प्रकार है–

कमांक	विवरण	मांग पत्र की धनराशि
1	प्रभावित होने वाली 0.6162 हे0 संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)	रू. 385741.00

अतः अनुरोध है कि प्रभाग के मांग पत्र रू. 385741.00 को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार कैम्पा, नई दिल्ली मे जमा करने हेतु यूपीडा को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय,

(संजय बिस्वाल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
मऊ

पत्रांक /14–1 उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर।
3. विशेष कार्याधिकारी (वन), यूपीडा, लखनऊ।

(संजय बिस्वाल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
मऊ

Net Present Value (NPV)

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 18.03.2008 के अनुसार पूर्वांचल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही मऊ सामाजिक वानिकी प्रभाग की वन भूमि की Net Present Value (NPV) का विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम	वन प्रकार	क्षेत्रफल (हे0)	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्यू (रू0)	कुल (रू0)
मझखनी वाराणसी–भटनी रेलपथ के कि0मी0 77/8 से 78/0 के मध्य स्थित	संरक्षित वन	0.6162	III	0.3	6,26,000	3,85,741.00
कुल नेट प्रसेन्ट वैल्यू (NPV)						3,85,741.00
तीन लाख पच्चासी हजार सात सौ इक्तालिस रूपया						

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
आजमगढ़ वृत्त
आजमगढ़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मऊ

ई–मेल

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी ।

पत्रांक– 2715 / 29–1 दिनांक वाराणसी, मार्च 19 - 2018

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी (वन)
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

विषय– पूर्वान्चल एक्सप्रेसवेज के निर्माण में आने वाली वन भूमि हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ– वन संरक्षक (केन्द्रीय), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 06 / 01 / 2018 / एफ0सी0 / 864 दि0–09.03.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस वृत्त के अधीनस्थ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर ने अपने पत्र संख्या–2360 / 22–1, दि0–15.03.2018 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक–18.03.2008 के अनुसार पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे के संरेखण में आ रही गाजीपुर सामाजिक वानिकी प्रभाग की वन भूमि की (Net Present Value (NPV) रू0–857057.00 मात्र का विवरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसे प्रतिहस्ताक्षरित कर आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के0के0पाण्डे)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी

संख्या–2715 (1) / दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।

2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर को उनके उक्त वर्णित पत्र के संदर्भ में ।

(के0के0पाण्डे)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी

Net Present Value (NPV)

मा0 उच्चतंम न्यायालय के निर्देश दिनांक 18.03.2008 के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संरेखण में आ रही गाजीपुर सामाजिक वानिकी प्रभाग की वन भूमि की Net Present Value (NPV) का विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम	वन प्रकार	क्षेत्रफल (हे0)	ईका क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्यू (रू0)	कुल (रू0)
शेर गाजीपुर से बलिया रेलवे लाईन के पोल संख्या–98/9 से 99/1 के मध्य स्थित	संरक्षित वन	0.3630	III	0.3	626000	2,27,238.00
फखनपुरा, हैदरिया, गिरधरिया, कुण्डेसर, गाजीपुर–हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–31 के कि0मी0 430 से कि0मी0 433 के मध्य	संरक्षित वन	1.0061	III	0.3	626000	6,29,819.00
	योग–	1.3691				8,57,057.00
कुल नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	–		रू0 आठ लाख सत्तावन हजार सत्तावन मात्र			

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर

स्थान:– गाजीपुर

दिनांक:– 15.03.2018

annexure (tasneef)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश कानपुर

पत्रांक– 2350/29–1 (एक्सप्रेसवे/कैमूर) दिनांक कानपुर फरवरी 10 2018

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी (वन)
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेजइल्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
सी–13 द्वितीय तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड
गोमती नगर लखनऊ

विषय– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाली 8.4165 हे0 संरक्षित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्कन किया जाना।

सन्दर्भ–आपका पत्रांक 3737/यूपीडा/619 दिनांक 05–02–2018

महोदय,

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाली 8.4165 हे0 संरक्षित भूमि के समतुल्य भूमि पर पर वृक्षारोपण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य कराने की रू0– 90.49 लाख की परियोजना प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर ने प्रस्तुत की है। उक्त परियोजना को प्रतिहस्ताक्षरित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0 के0 अवस्थी)
मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र उ0 प्र0 कानपुर

पत्रांक– 2350 /29–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को पत्रांक 2321/33–1 दिनांक 9–2–2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0 के0 अवस्थी)
मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र उ0 प्र0 कानपुर

परियोजना एक दृष्टि में			
1—	परियोजना का नाम	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे	
2—	परियोजना का क्रियान्वयन	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।	
3—	परियोजना का कार्य	10.092 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं	
4—	मजदूरी दर	रू0 175 प्रति मानव दिवस	
5—	परियोजना की अवधि	दस वर्ष	
6—	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजाति	नीम, अर्जुन, कंजी, इमली, ऑवला, पीपल, पाकड़, गूलर, सिरस,चिलबिल, शीशम, महुआ, आदि (सुरक्षा खाई पर खैर, बबूल आदि)	
7—	परियोजना की लागत	हे0	धनराशि (लाख में)
	अग्रिम मृदा कार्य	10.092	13.19
	वृक्षारोपण कार्य	10.092	11.74
	वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष	10.092	6.99
	वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	10.092	6.99
	वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्ठम वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम वर्ष	10.092	6.45
	वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष	10.092	6.45
		कुल योग—	90.49

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
उ0 प्र0, कानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में आने वाली 9.1549 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 8.4165 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 17.5714 हे0 वन भूमि के समतुल्य वन विभाग को दी जा रही 19.4944 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक उसके रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक धनराशि (रूपये मे) का विवरण।

प्रभावित होने वाली वन भूमि का विवरण	दी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक उसके रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक धनराशि (रूपये मे)
(क) आरक्षित वन भूमि	गैर वन भूमि	
सैदहा,आजमगढ– क्षे0 2.10 हे0	सैदहा,आजमगढ– क्षे0 2.1290 हे0	18,30,300.00
फतेहपुर,सुल्तानपुर क्षे0 7.0549 हे0	फतेहपुर,सुल्तानपुर क्षे0 7.2754 हे0	13,68,617.00
(ख) संरक्षित वन भूमि (लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर) क्षे0 8.4165 हे0	ग्राम मतवार, तह0 लालगंज, जिला–मिर्जापुर क्षे0 10.092 हे0	90,49,000.00
कुल क्षे0 17.5714 हे0	कुल क्षे0 19.4964 हे0	कुल धनराशि रू. 1,22,47,917.00 (रू. एक करोड़, बाईस लाख, सैतालिस हजार, नौ सौ सत्रह मात्र)

NET PRESENT VALUE			
Forest Division	District	NPV CALCULATION	
		Forest Land Required	NPV Amount
LUCKNOW	LUCKNOW	0.4560 ha PF	0.4560x6,26,000.00= Rs 2,85,456.00
BARABANKI	BARABANKI	0.3660 ha PF	0.3660x6,26,000.00= Rs 2,29,116.00
SULTANPUR	SULTANPUR	4.2623 ha PF 7.0549 ha RF	4.2623x6,26,000.00= Rs. 26,68,199 .00 + 7.0549x8,87,000.00= Rs. 62,57,696.00 = 89,25,895.00
AZAMGARH	AZAMGARH	1.3469 ha PF 2.1000 ha RF	1.3469x6,26,000.00= Rs. 8,43,159.00 + 2.1000x8,87,000.00= Rs. 18,62,700.00 =2705859.00
MAU	MAU	0.6162 ha PF	0.6162x6,26,000.00= Rs. 3,85,741.00
GHAZIPUR	GHAZIPUR	1.3691 ha PF	1.3691x6,26,000.00= Rs. 8,57,057.00
	Total	**8.4165 ha PF + 9.1549 ha RF =17.5714 ha**	**Rs. 1,33,89,124.00 One Crore Thirty Three Lacs Eighty Nine Thousand One Hundred and Twenty Four Only**